खण्ड–34, अंक–01
सोमवार, 07 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934
(28 मई, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 34 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	''क''
राष्ट्रीय गीत	1
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग	1–3
श्री किरन चन्द मण्डल, सदस्य, विधान सभा के त्याग–पत्र देने की सूचना	3–4
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये सूचना के विषय पर पुनः चर्चा कराये जाने की माँग	4
प्रश्नोत्तर	4–33
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग (क्रमागत)	33–37
नत्थियाँ	38–42

''क''

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्‌ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री चन्दन राम दास
10–श्री चन्द शेखर
11–डा0 जीत राम
12–श्री तीरथ सिंह
13–श्री दलीप सिंह रावत
14–श्री दान सिंह भण्डारी
15–श्री दिनेश अग्रवाल
16–श्री दिनेश धनै
17–श्री नवप्रभात
18–श्री नारायणराम आर्य
19–श्री पुष्कर सिंह धामी
20–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
21–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
22–श्री प्रदीप बत्रा
23–श्री प्रीतम सिंह
24–श्री प्रीतम सिंह पंवार
25–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
26–श्री प्रेम सिंह
27–श्री फुरकान अहमद
28–श्री बंशीधर भगत
29–श्री भीमलाल आर्य
30–श्री मदन कौशिक
31–श्री मनोज तिवारी
32–श्री मयूख सिंह
33–श्री महावीर सिंह
34–श्री माल चन्द
35–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
36–श्री यतीश्वरानन्द
37–श्री यशपाल आर्य
38–श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''
39–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
40–श्री राजकुमार
41–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
42–श्री राजेश शुक्ला
43–श्री ललित फर्स्वाण
44–श्री विक्रम सिंह नेगी
45–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
46–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
47–श्री बिशन सिंह चुफाल
48–श्रीमती शैला रानी रावत
49–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
50–श्री संजय गुप्ता
51–श्री सरवत करीम अंसारी
52–श्रीमती सरिता आर्या
53–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
54–श्री सुबोध उनियाल
55–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
57–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58–श्री सुरेन्द्र राकेश
59–श्री हरबन्स कपूर
60–श्री हरिदास
61–श्री हरीश धामी
62–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
63–श्री हेमेश खर्कवाल

सोमवार, दिनांक 28 मई, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

राष्ट्रीय–गीत

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूँ। आज की कार्यवाही ''वन्दे मातरम'' से आरम्भ करता हूँ।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्,

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में जो घटना घटित हुई है, देवभूमि में ऐसा कृत्य आज तक कभी देखने को भी नहीं मिला। सितारगंज के विधायक श्री किरन मण्डल अचानक गायब हो गये और दूरभाष पर भी उनसे सम्पर्क नहीं हो पाया।...............

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय विधायक को लालच और प्रलोभन देकर इस प्रदेश को कलंकित करने का कार्य किया गया और संवैधानिक पद पर बैठे प्रदेश के मुखिया की देख–रेख में यह कार्य किया गया, जो न्यायमूर्ति के पद पर भी विराजमान रह चुके हैं। (शेम–शेम की ध्वनि)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने को कहें।

(माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें, प्रश्नकाल होने दें और जो भी आपकी बात है, उसको नियमों के अनुसार उठायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से खरीद–फरोख्त हुई और इस्तीफा देते समय भी विधायक जी के इर्द–गिर्द भारी पुलिस बल लगा दिया गया और उसके बाद किरन मण्डल जी को पुलिस की वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई।..

(कई माननीय सदस्य के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्नकाल होने दें, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, इस कृत्य से प्रदेश में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इस प्रकरण की जाँच कराई जानी चाहिये। यदि इस प्रकरण की जाँच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।......

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर जोर–जोर से नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किरन चन्द मण्डल, सदस्य विधान सभा के त्याग–पत्र देने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मुझे इस माननीय सदन को सूचित करना है कि जनपद ऊधमसिंह नगर 68 सितारगंज, विधान सभा क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री किरन मण्डल ने दिनांक 23 मई, 2012 को अपराह्न विधान सभा की सदस्यता से त्याग–पत्र दे दिया, जिसे मैंने दिनांक 23 मई, 2012 अपराह्न से स्वीकार कर लिया है। अतः श्री किरन चन्द मण्डल का स्थान उत्तराखण्ड विधान सभा में दिनांक 23 मई, 2012 के अपराह्न से रिक्त हो गया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) मैं सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11:50 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 11 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये सूचना के विषय पर पुनः चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नियम–310 में सूचना दी हुई है और स्पष्टतः कहा है कि माननीय विधायक श्री किरण मण्डल जी के मामले में बहुत बड़े पैमाने पर प्रलोभन दिया गया है और खरीद–फरोख्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने कहा है कि इसमें चर्चा होनी चाहिए। आप हमारे संरक्षक हैं और पूरे प्रदेश के संरक्षक हैं। (घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्यगणों से पुनः अनुरोध है कि अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12:20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के सारतोला में नवनिर्मित पुल के क्षतिग्रस्त होने की उच्च स्तरीय जाँच एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई

*1–श्री नारायणराम आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के सारतोला में नवनिर्मित पुल 13 दिन के बाद ही क्षतिग्रस्त हो गया था ?

नोट :– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाई करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

सेतु वर्तमान में ठीक है। मात्र नेवलियासेरा (सारतोला) स्थान पर सेतु के पहुँच मार्ग के दायीं ओर की दीवार विगत अप्रैल माह में क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसे अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर ठीक कराया जा रहा है। †

***2–श्री गणेश जोशी, श्री पूरन सिंह फर्त्याल तथा श्री राजेश शुक्ला–**

माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

***3–श्री हरीश धामी तथा श्री हेमेश खर्कवाल–**

माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

जनपद पौड़ी के पट्टी खांटली में ''दुनाऊ जल विद्युत परियोजना'' की वर्तमान स्थिति तथा योजना पूर्ण होने की समयावधि

***4–श्री तीरथ सिंह–**

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के पट्टी खांटली के दुनाऊ में 1 मेगावाट की ''दुनाऊ जल विद्युत परियोजना'' प्रारम्भ की गयी थी ?

यदि हाँ, तो वर्तमान में उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त योजना को सरकार प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो योजना कब तक अस्तित्व में आ जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत यूजेवीएनएल की 1.5 मे0वा0 क्षमता की दुनाऊ लघु जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–38 पर)

उपरोक्तानुसार।

उक्त लघु जल विद्युत परियोजना से सितम्बर, 2013 (वर्ष 2013–14) तक विद्युत उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत कटौती किये जाने का कारण तथा सुधार हेतु उपाय

*5–श्री चन्दन राम दास, श्री मदन कौशिक तथा श्री अरविन्द पाण्डे–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत कटौती किये जाने का क्या कारण है तथा सरकार द्वारा कितने समय तक कटौती किये जाने का निर्णय लिया गया है ?

क्या सरकार द्वारा भविष्य में भी इसी तरह की कटौती की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार कैसे किया जायेगा ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में विद्युत माँग में भारी बढ़ोत्तरी होने तथा विद्युत उपलब्धता में कमी आने के कारण, माँग एवं उपलब्धता का अन्तर बढ़ गया है। माह मार्च से मई, 2011 के सापेक्ष वर्ष 2012 में प्रतिदिन औसतन विद्युत माँग एवं उपलब्धता का विवरण निम्नवत् है :–

माह	औसत अप्रतिबन्धित माँग (1)		औसत विद्युत उपलब्धता (2) राज्य उत्पादन विष्णुप्रयाग एवं केन्द्रीय अंश		विद्युत कमी 3 (1–2)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
मार्च	27.1	28.5	21.7	21.1	5.4	7.4
अप्रैल	28.4	29.4	22.5	21.6	5.8	7.9
मई (20 मई तक)	30.2	32.3	28.8	25.9	1.4	6.5

विद्युत की माँग एवं उपलब्धता के अन्तर को कम करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जिससे कि भविष्य में प्रदेश को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जा सके।

यथाशीघ्र

भविष्य में विद्युत कमी की पूर्ति करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, जो निम्नवत् हैं :–

(1) विद्युत उत्पादकों से विद्युत क्रय करना, जिस हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध किये जायेंगे।

(2) सामान्य आवृत्ति की स्थिति में ग्रिड से अतिरिक्त विद्युत आयात किया जायेगा।

(3) बैंकिंग के माध्यम से भी भविष्य में विद्युत लेने की व्यवस्था।

राज्य के मुख्य शहरों में वाहनों के जाम से फैल रहे प्रदूषण से मुक्ति हेतु सरकार की योजना

*6–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के मुख्य शहरों में जाम एवं वाहनों से फैल रहे प्रदूषण से मुक्ति दिलाने हेतु सरकार क्या कोई योजना बना रही है? यदि हाँ तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश की छोटी, बड़ी नदियों पर छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बनाए जाने का विचार

*7–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की छोटी, बड़ी नदियों पर छोटी जल–विद्युत परियोजनाएं बनाए जाने पर विचार किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक योजनाएं बना ली जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ

उत्तराखण्ड में यूजेवीएनएल, केन्द्रीय सरकार के उपक्रम तथा निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा छोटी–बड़ी 69 जल विद्युत परियोजनायें निर्माणधीन हैं। उक्त परियोजनाओं

को वर्ष 2012–13 से लेकर वर्ष 2023–24 तक अलग–अलग वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत सतपुली से पौड़ी तक निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति

*8–श्री तीरथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली से पौड़ी तक निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त मार्ग कब तक वाहनों के चलने योग्य बन जायेगा ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली से पौड़ी के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में यातायात हेतु उपलब्ध है। †

वर्ष 2012–13 हेतु सरकार की आबकारी नीति, स्वरूप तथा सदन के पटल पर रखे जाने का विचार

*9–श्री तीरथ सिंह–

क्या आबकारी मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2012–13 हेतु आबकारी नीति घोषित कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

क्या सरकार उक्त नीति की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 327, दिनांक 25–04–2012 द्वारा वर्ष 2012–13 की आबकारी नीति घोषित की गयी है, जिसमें शासनादेश दिनांक 04–05–2012 तथा 10–05–2012 द्वारा संशोधन किये गये हैं।

जी नहीं। यह राज्य सरकार की वेबसाइट UK. GOV. IN पर सर्वसुलभ है।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत भीमताल के औद्योगिक क्षेत्र (यू0पी0एस0आई0डी0) का सिडकुल को हस्तान्तरण एवं स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार हेतु प्रयास

*10–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल के औद्योगिक क्षेत्र (यू0पी0एस0आई0डी0) को सिडकुल को हस्तान्तरित कर दिया गया है?

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या–39 पर)

यदि हाँ, तो क्या सरकार स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु यू0पी0एस0आई0डी0 को पुनः चलवाये जाने हेतु यथाशीघ्र कदम उठाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

वर्तमान में उक्त औद्योगिक आस्थान में 60 इकाईयों को आवंटित भूखण्डों में से 27 इकाईयाँ उत्पादनरत हैं। शेष बन्द इकाईयों को शीघ्र पुनः चलाने हेतु नोटिस जारी करने की प्रक्रिया गतिमान है। अभिरूचि न दिखाने वाली इकाईयों के भूखण्ड निरस्तीकरण प्रक्रिया उपरान्त नये निवेशकों को आवंटित किये जायेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थापना सुविधायें विकसित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत नथुवाखान–प्यूडा–क्वाख मोटर मार्ग के पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने तथा मार्ग का डामरीकरण

1–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नथुवाखान–प्यूडा–क्वाख मोटर मार्ग का डामरीकरण विगत बरसात के दिनों से पूर्णतया क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग का पुनः डामरीकरण अतिशीघ्र करवाये जाने पर कदम उठायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सरकार द्वारा प्रदेश तथा जनपद नैनीताल के वि0ख0 रामगढ़ एवं ओखलकाण्डा में नये आई0टी0आई0 खोलने की योजना

2—श्री दान सिंह भण्डारी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में नये आई0टी0आई0 की स्थापना करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार की जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामगढ़ एवं ओखलकाण्डा में आई0टी0आई0 की स्थापना करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा—

इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद नैनीताल के रामगढ़ विकास खण्ड में वर्ष 2005 से ढोकाने नामक स्थान पर आई0टी0आई0 संचालित है एवं विकास खण्ड ओखलकाण्डा में आई0टी0आई0 ओखलाकाण्डा वर्ष 1989 से संचालित है। वर्तमान में जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामगढ़ एवं ओखलकाण्डा में पुनः आई0टी0आई0 स्थापित किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत कसिया लेख—सूपी—लोद मल्ला—पाटा मोटर मार्ग का डामरीकरण

3—श्री दान सिंह भण्डारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कसिया लेख—सूपी—लोद मल्ला—पाटा मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 18.70 कि0मी0 के सापेक्ष अवशेष लम्बाई 9.90 कि0मी0 में पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण हेतु प्रथम चरण के कार्य का आगणन शासन में प्राप्त है।

कार्य स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा जनपद नैनीताल के वि0ख0 ओखलकाण्डा व धारी, रामगढ़ अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण का विचार

4—श्री दान सिंह भण्डारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के अन्तर्गत मोरनौला, मोरनौला—मझौला गौनिया रौ—हरीशताल अनर्पा, जौलपोखरा सलियाकोट नाई—भूमका मोटर मार्ग तथा धारी विकास खण्ड के अन्तर्गत कसियालेख—चोखुटा—धानाचूली—कौलधारी आना बवियाण, हैडाखान मोटर मार्ग तथा साथ ही रामगढ़ विकास खण्ड अन्तर्गत बडेत—सिमायाल, डैलकुगा हरिनगर—सुरालगाँव—बज्यूठिया—तरैना—पोखरी बडैत भियालगाँव—कूल, मोटर मार्गों का निर्माण करवाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा—

प्रश्नगत मोटर मार्गों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोरनौला पूर्व से मोटर मार्ग से जुड़ा है। मोरनौला से मझोला तक कुल 151 कि0मी0 लम्बाई के मोटर मार्ग की स्वीकृति वर्ष 1974 में प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत मोरनौला से ल्वार—डोबा तक मोटर मार्ग बना हुआ है। ल्वार—डोबा से चोर गलिया प्रभाग में मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। चोरगलिया से सितारगंज—बिज्टी तक मार्ग पूर्व से निर्मित है। इसके आगे बिज्टी से मझोला तक का प्रभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत है।

गौनियारौ, सालियाकोट, नाई, कसियालेख, धानाचूली, चौखुटा, धारी, आना—बबियाण, हैडाखान, बहेत, सिमायल, हैलकुना तथा बज्यूटिया पूर्व ही सड़क मार्ग से जुड़े हुये हैं।

हरीशताल हेतु मोटर मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज—10 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

अनर्पा को जोड़े जाने हेतु शासनादेश दिनांक 06—09—2011 द्वारा 5.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत मार्ग के सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है।

जौलपोखरा, पहाड़पानी—जौल पोखरा मोटर मार्ग से जुड़ेगा, जिसमें वन भूमि हस्तान्तरित नहीं होने से निर्माण कार्य बाधित है।

नाई–भूमका मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

कौल, परवाड़ा–कौल मोटर मार्ग से जुड़ेगा, इस हेतु 8.00 किमी0 मोटर मार्ग स्वीकृत है।

हरिनगर से सुरालगाँव तक लम्बाई 3.00 किमी0 हेतु प्रथम चरण के कार्य का आगणन शासन में प्राप्त है। सम्प्रति कार्य स्वीकृत नहीं है।

बडेत–भियालगाँव मोटर मार्ग 4.20 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत है जिसमें निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ग्राम कूल को जोड़े जाने हेतु भी मोटर मार्ग स्वीकृत है, जिसके लिए वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।

तरेना व पोखरी गाँव, नथवाखान–सुयालबाड़ी मोटर मार्ग से 1.50 किमी0 की परिधि में होने के कारण विभागीय मानकों के आधार पर मोटर मार्ग से आच्छादित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में 01 जनवरी, 2010 से वर्तमान तक स्वीकृत सड़कों के वन भूमि के अन्तर्गत आने तथा वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव

5–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में 01 जनवरी, 2010 से वर्तमान तक स्वीकृत सड़कों में से कुल कितनी सड़कें वन भूमि के अन्तर्गत आ रही हैं ?

क्या सरकार द्वारा उक्त सड़कों के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं ?

यदि हाँ, तो कितने प्रस्ताव शासन को भेजे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद पिथौरागढ़ में 01 जनवरी, 2010 से वर्तमान तक स्वीकृत सड़कों में से कुल 62 सड़कें वन भूमि के अन्तर्गत आ रही हैं।

वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव शासन को नहीं भेजे जाते हैं, अपितु विभागीय स्तर से तैयार कर जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से वन संरक्षण/नोडल अधिकारी, वन विभाग को भेजे जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में स्वीकृत सड़कों के वन भूमि हस्तान्तरण हेतु भारत सरकार व नोडल स्तर पर लम्बित/विचाराधीन प्रस्ताव तथा वन भूमि प्रस्ताव न बनने वाली सड़कों की संख्या

6–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्वीकृत सड़कों के वन भूमि हस्तान्तरण के कुल कितने प्रस्ताव भारत सरकार व नोडल स्तर पर लम्बित/विचाराधीन हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी सड़कों के वन भूमि के प्रस्ताव नहीं बने हैं ?

श्री विजय बहुगुणा–

सड़क निर्माण के 74 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं। नोडल अधिकारी के स्तर पर सड़क निर्माण के 18 प्रस्ताव लम्बित हैं। भारत सरकार द्वारा अधिरोपित की गयी शर्तों के कारण प्रस्ताव लम्बित/विचाराधीन हैं।

मोटर मार्ग का निर्माण का प्रस्ताव सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को सन्दर्भित किया जाता है।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत जुगुड़ा से रडुवा मोटर मार्ग पर काली नदी पर सड़क किनारे सुरक्षा हेतु केस वेरियर लगाने हेतु योजना

7–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में टनकपुर– जौलजीवी मोटर मार्ग में जुगुड़ा से रडुवा तक काली नदी पर सड़क के किनारे सुरक्षा हेतु क्रेस वेरियर लगाने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत हल्द्वानी–भीमताल बाईपास की सड़क में भीमताल झील से सुरक्षा हेतु क्रेस वेरियर रेलिंग लगाने पर विचार

8–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जननद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी–भीमताल बाईपास की भवाली सड़क में भीमताल झील से सुरक्षा हेतु लगाई गई पाईप की रैलिंग जंक लगने के कारण जगह–जगह टूट गई है ?

क्या सरकार सुरक्षा हेतु पाईप रैलिंग के स्थान पर क्रेस वैरियर रेलिंग लगायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में प्रा0ख0 लो0नि0वि0 में पहाड़ कटान व स्कवर के कुल निर्माण कार्यो की संख्या तथा अनुबन्ध के शर्तानुसार कार्यो का निरस्तीकरण

9–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ में पहाड़ कटान, स्कवर के कुल कितने निर्माण कार्य हैं जिसमें निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है तथा कार्य पूर्ण करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है ?

क्या सरकार उक्त कार्यो को अनुबन्ध की शर्तो के आधार पर निरस्त करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद पिथौरागढ़ में प्रान्तीय खण्ड लोक, निर्माण विभाग पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पहाड़ कटान, स्कपर के कुल 31 कार्य हैं, जिनमें निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार में वर्ष 2010 में आई दैवीय आपदा से ग्राम रोशनाबाद के खाले के क्षतिग्रस्त पुल निर्माण हेतु कार्यवाही

10–श्री आदेश चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में वर्ष 2010 में आई दैवीय आपदा से ग्राम–रोशनाबाद के खाले के क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करवाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद हरिद्वार में ग्राम–रोशनाबाद के खाले के क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर में गंगानहर पर जन सुरक्षा हेतु रेलवे पुल के सामानांतर पुल बनाने पर विचार

11–श्री आदेश चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गंगनहर पर स्थित रेलवे पुल का पैदल यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने से जान माल की क्षति को रोकने के लिए रेलवे पुल के समानांतर पुल बनाने की क्षेत्र की जनता लम्बे समय से माँग करती आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा——

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र रानीपुर अन्तर्गत ग्राम टिहरा व खाला टिहरा के मध्य खाले पर पुल निर्माण हेतु कार्यवाही

12—श्री आदेश चौहान—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर के अन्तर्गत ग्राम टिहरा तथा खाला टिहरा के मध्य खाले पर पुल निर्माण की माँग क्षेत्रीय जनता लम्बे समय से करती आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा—

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0स0 क्षेत्र धारचूला में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि

13—श्री हरीश धामी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला विधान विधान सभा क्षेत्र में कितनी जल विद्युत परियोजनायें प्रस्तावित हैं और इन में कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला विधान सभा क्षेत्र में 28 जल विद्युत परियोजनायें प्रस्तावित हैं, जिनके कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति/अद्यतन स्थिति संलग्न है। †

जनपद पौड़ी के लैन्सडौन डुमैला पैदल मार्ग को सेना द्वारा तोड़ दिये जाने से लो0नि0वि0 द्वारा सेना के खिलाफ कृत कार्यवाही

14–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत लैन्सडौन डुमैला पैदल मार्ग को सेना द्वारा तोड़ दिया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उक्त मार्ग लो0नि0वि0 के नियंत्रणाधीन है ?

यदि है तो सेना ने किस आधार पर इसे क्षतिग्रस्त किया है एवं विभाग द्वारा सेना के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त दीवार के पुनःनिर्माण से सम्बन्धित स्थल पर सेना द्वारा अपना स्वामित्व माने जाने के कारण निर्मित दीवार को क्षतिग्रस्त किया गया है। अतः स्थल के स्वामित्व निर्धारण हेतु विभाग के द्वारा छावनी परिषद्, रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ, स्टेशन हैडक्वार्टर, जी0आर0आर0सी0, लैंसडौन, वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ उक्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 11 व 12–04–2012 को किया गया है। सम्प्रति स्थल निरीक्षण आख्या प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त उक्त नव निर्मित दीवार को ध्वस्त करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु विभागीय स्तर से एड्म कमान्डेंट, स्टेशन हैडक्वाटर, लैन्सडौन से भी पत्राचार किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

---

† (देखिये नत्थी ''ग'' आगे पृष्ठ संख्या 40–42 पर)

जनपद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत मेदावन हल्दूखाल मोटर मार्ग से डामरीकरण की स्वीकृति, न बनने के कारण, कार्य पूर्ण होने की अवधि एवं अनियमितता के कारण व कार्रवाई

15—श्री दलीप सिंह रावत—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मेदावन हल्दूखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण की स्वीकृति कब हुई तथा अभी तक इसके न बनने के क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा इसके विलम्ब व अनियमितता होने के कारणों की समीक्षा कर कार्यवाही की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री विजय बहुगुणा—

मेदावन—हल्दूखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण की स्वीकृति दिनांक 24—12—2008 को प्रदान की गई थी।

अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि 02—03—2011 थी, परन्तु वर्ष 2010—11 में भारी वर्षा एवं दैवीय आपदा व अतिवृष्टि के कारण मार्ग सम्पूर्ण लम्बाई में क्षतिग्रस्त होने तथा मार्ग में अत्यधिक मात्रा में मलवा आने के कारण डामरीकरण कार्य की प्रगति बाधित हुई।

उक्त मार्ग में डामरीकरण कार्य माह जून, 2012 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। यद्यपि उक्त मार्ग में डामरीकरण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो पाने का कारण मार्ग दैवीय आपदा व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त होना रहा है तथापि यदि विभागीय स्तर पर इस हेतु विलम्ब व अनियमितता होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यथासमय इसके कारणों की समीक्षा की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी स्थित राजाजी नेशनल पार्क के बीच से जाने वाले पच्चीस गाँवों में मोटर मार्ग का डामरीकरण व पक्कीकरण हेतु स्वीकृति

16—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल के पच्चीस गाँवों का मोटर मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के बीच से जाता है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 12 कि0मी0 मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु धन की स्वीकृति दी गई है ?

यदि हाँ, तो मोटर मार्ग के पक्कीकरण हेतु स्वीकृति दी जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

प्रश्नगत मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु धन की स्वीकृति नहीं दी गई है, अपितु डामरीकरण कार्य से पूर्व प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 3.81 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट गठित किये जाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण की अनुमति राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण परिषद् से प्राप्त होने तथा वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त मोटर मार्ग के पक्कीकरण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 ताड़खेत स्थित कुजगड़ नदी पर मोटर वाहन पुल निर्माण हेतु कृत कार्यवाही

17–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत के कुजगड़ नामक नदी पर मोटर वाहन पुल का प्रस्ताव लम्बित है ?

यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सरकार कब तक उक्त स्थान पर मोटर वाहन पुल का निर्माण करेगी ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 ताड़खेत के थकुलाड़ी, वैना, मटेला, मनिहार मोटर मार्ग निर्माण कार्य लम्बे समय से प्रारम्भ न होने के कारण तथा कार्य प्रारम्भ

18–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत के थकुलाड़ी, बैना, मटेला, मनिहार मोटर मार्ग निर्माण का शासनादेश किस तारीख को हुआ था तथा इतने लम्बे समय तक भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ?

सरकार कब तक उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रश्नगत मोटर मार्ग की स्वीकृति दो चरणों में प्रदान की गई है। शासनादेश दि0 6–2–04 के द्वारा थकुलाड़ी से बैना तक लम्बाई 5.00 किमी0 तथा शासनादेश दि0 27–2–2004 के द्वारा ताड़ीखेत–चपलाडी मटेला–मनिहार तक लम्बाई 5.00 कि0मी0 की प्रदान की गई है।

शासनादेश दिनांक 27–2–2004 के द्वारा स्वीकृत मोटर मार्ग के संरेखण में पड़ने वाले वन भूमि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा ज्यादा आरक्षित वनभूमि एवं अधिक वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख करते हुए दिनांक 16–9–2011 को निरस्त कर दिया गया है।

शासनादेश दिनांक 6–2–2004 द्वारा स्वीकृत मोटर मार्ग संरेखण में पड़ने वाले वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन विभाग से आपत्तियों में वापस प्राप्त हुआ है। इस वन भूमि प्रस्ताव की आपत्तियों का निराकरण प्रारम्भिक भाग (ताड़ीखेत–चपलाडी मटेला–मनिहार मोटर मार्ग) के स्वीकृत संरेखण के निस्तारण के उपरान्त ही किया जाना सम्भव होगा।

वन भूमि की विधिवत स्वीकृति के बिना मार्ग निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 ताड़ीखेत के पन्याली श्रीराम मन्दिर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के कारण

19–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत के पन्याली श्रीराम मंदिर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश किस तारीख को हुआ था तथा उक्त मोटर मार्ग में अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति दिनांक 11–02–2004 को प्रदान की गई है।

मार्ग में समरेखण विवाद होने के कारण निर्माण कार्य बाधित है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों की संख्या, उक्त संस्थानों से वर्तमान तक डिग्री प्राप्त छात्रों की संख्या तथा डिग्रीधारक छात्रों को रोजगार हेतु कार्ययोजना

20–श्री मदन कौशिक–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अभी तक कितने मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थान संचालित हैं, तथा उक्त संस्थानों से वर्तमान तक कितने छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की गयी है ?

क्या सरकार द्वारा इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त छात्रों के रोजगार हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

उत्तराखण्ड राज्य में इंजीनियरिंग संस्थानों को सम्बद्धता/मान्यता प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का गठन किया गया है। वर्तमान तक 33 इंजीनियरिंग संस्थान मान्यता प्राप्त हैं तथा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा 6079 छात्रों को विभिन्न विषयों में इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान की गयी है।

प्रदेश में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त छात्र–छात्राओं को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा नई दिल्ली में प्लेसमेन्ट सेल का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों ने भी अपने स्तर पर प्लेसमेन्ट सेल गठित किये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र खटीमा में यातायात की सुविधा हेतु बाईपास सड़क निर्माण की योजना

21–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या लो0नि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में यातायात की सुविधा हेतु बाईपास सड़क का निर्माण किये जाने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को खटीमा में बाईपास निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जिस पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र खटीमा अन्तर्गत प्रतापपुर के लिंक मार्ग पर पक्का पुल निर्माण हेतु योजना

22–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या लो0नि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत प्रतापपुर के सत्रह (17) मील को जोड़ने वाले लिंक मार्ग पर पक्का पुल निर्माण किये जाने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रश्नगत स्थान को जोड़ने वाले लिंक मार्ग पर परवीन नदी में 45 मीटर स्पान के प्रीस्ट्रेस्ट पुल निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्य का आगणन शासन में प्राप्त है।

कार्य स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत मूनाकोट झूलाघाट मोटर मार्ग के हाट मिक्स कार्य के मानक

23–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक नि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मूनाकोट झूलाघाट मोटर मार्ग के हाट मिक्स कार्य में मोटाई व चौड़ाई के क्या मानक हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नाली व दीवार के 60 से0मी0 के टॉप के ऊपर भी हाट मिक्स कराने के क्या कारण हैं ?

श्री विजय बहुगुणा–

जिला पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मूनाकोट झूलाघाट मोटर मार्ग के हाट मिक्स कार्य में बी0एम0 कार्य की मोटाई 50 मि0मी0 तथा एस0डी0बी0सी0 कार्य की मोटाई 25 मि0मी0 का मानक है। उक्त कार्य में 3.75 मी0 की चौड़ाई का मानक है।

नाली व दीवार के 60 से0मी0 के टॉप के ऊपर हाट मिक्स का कार्य नहीं कराया गया है।

जनपद पौड़ी के गरूड़ चट्टी नामक स्थान पर मोटर मार्ग पुल बन्द किये जाने के कारण, पुल निर्माण में अनियमितता तथा जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार के विरूद्ध कृत कार्रवाई

24–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के गरूड़ चट्टी नामक स्थान पर बना मोटर पुल वाहनों एवं जनता की आवाजाही के लिए बन्द कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

क्या उक्त पुल के निर्माण में गुणवत्ता में त्रुटियां पायी गयी हैं ?

यदि हाँ, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों को निलम्बित व ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत श्रीनगर में क्षतिग्रस्त चौरास पुल एवं गरूड़ चट्टी में निर्मित 190 मी0 विस्तार की दो लेन पुलों को एक ही डिजाइन कर्ता द्वारा डिजाइन किया गया था चौरास पुल में डिजाइन में कमी के कारण पुल के क्षतिग्रस्त होने के परिप्रेक्ष्य में गरूड़ चट्टी में निर्मित पुल को सम्भावित क्षति से बचाने हेतु पुल को वाहनों की आवाजाही हेतु दिनांक 26–03–2012 से बन्द कर दिया गया है।

जी नहीं।

पुल के डिजाइन का परीक्षण विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग बी0एच0यू0 से कराया जा रहा है। जाँचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत अन्तर्गत लोहाघाट में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का प्रस्ताव व निर्णय

25–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोहाघाट, जनपद चम्पावत में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के वि0स0 क्षेत्र धनौल्टी अन्तर्गत वन अधिनियम के कारण न बनने वाली सड़कें तथा पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर कृत कार्यवाही

26–श्री महावीर सिंह–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत किन–किन सड़कों का वन अधिनियम के कारण निर्माण नहीं हो पा रहा है ?

विभाग द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को स्वीकृति हेतु किन–किन सड़कों का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य वन अधिनियम के कारण नहीं हो पाया है :–

(i) मसराना–किमोई मोटर मार्ग

(ii) आर0आर0 के मोटर मार्ग पर भरवाकाटल श्रीपुर मोटर मार्ग

(iii) दुबड़ी से रगड़गाँव तक मोटर मार्ग

(iv) रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग

भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किये गये मोटर मार्गों एवं की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0सं0	भारत सरकार को सन्दर्भित मोटर मार्ग	की गयी कार्यवाही
1.	लालूरी–घियाकोटी से क्यारदा की चल्ली मोटर मार्ग	इस मोटर मार्ग के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करने हेतु लोक निर्माण विभाग को लिखा गया है।
2.	एस0आर0एम0 कालवन तेगना मोटर मार्ग	मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को लिखा गया है।
3.	भरवा काटल से श्रीपुर मोटर मार्ग	भारत सरकार द्वारा इस मोटर मार्ग के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था, किन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में सूचनाएं उपलब्ध करा दिये जाने पर उक्त मोटर मार्ग के पुनर्विचार हेतु पुनः भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।
4.	कादला बैण्ड से महेड़ा कठखेत मोटर मार्ग	इस मोटर मार्ग का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत एकेश्वर–खतिगाँव तक निर्मित मोटर मार्ग का जनहित में सिमलगाँव से कुलेड़ी तक विस्तार

27–श्री तीरथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत एकेश्वर के खतिगाँव तक मोटर मार्ग कब निर्मित किया गया था ?

क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग पर पड़ने वाले अधिकाँश गाँवों को मोटर मार्ग की सुविधा नहीं मिल रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग को सिमलगाँव–अलेका–गोखेड़ा–तप्पड़घाट–कुलेड़ी तक बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्ण कर लिया गया है।

इस मार्ग के बन जाने से ग्राम एकेश्वर, गणेशपुर, मलेथा, गुराड तल्ला गुराड मल्ला तथा खतिगाँव लाभान्वित हो रहे हैं।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत पड़ाखेत–रीठाखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण

28–श्री तीरथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल तहसील के अन्तर्गत पड़ाखेत–रीठाखाल मोटर मार्ग डामरीकृत है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग का डामरीकरण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत चौरा से मुसासू तक स्वीकृत मोटर मार्ग का तुनाखाल तक विस्तारीकरण

29–श्री तीरथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पट्टी मवालस्यूं के अन्तर्गत चौरा से मुसासू मोटर मार्ग स्वीकृत हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग का विस्तारीकरण तुनाखाल तक करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत एकेश्वर–रीठाखाल–काण्डई तक निर्मित मोटर मार्ग का जनहित में ढुंगबड़ी तक विस्तारीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति

30–श्री तीरथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत एकेश्वर रीठाखाल–कान्डई मोटर मार्ग कान्डई तक निर्मित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग को 2 कि0मी0 आगे ढुंगबड़ी तक विस्तारीकरण की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत पिलखेरा मोटर मार्ग के कारण ग्राम सगोड़ा स्थित मकानों को उत्पन्न खतरा तथा ब्रेस्टवाल का निर्माण

31–श्री तीरथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लाक के अन्तर्गत ईड़ाखाल से पिलखेरा मोटर मार्ग पर मोटर मार्ग, ग्राम सगोड़ा के बीच से गुजरने के कारण गाँव के मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भवनों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु ब्रेस्टवाल का निर्माण वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व अविलम्ब करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जी हाँ।

कार्य माह जून, 2012 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत गोविन्द पशु विहार में वन कानून लागू होने के कारण क्षेत्रवासियों के हक हकूकों पर लगा प्रतिबन्ध व बहाली

32–श्री माल चन्द–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत गोविन्द पशु विहार के ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकार वन कानूनों के कारण जलौनी लकड़ी, इमारती लकड़ी, पैदल मार्ग, पेयजल चरान–चुगान, मोटर मार्ग, विद्युत लाईन आदि से वंचित रहते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु विहार क्षेत्रवासियों की समस्याओं के दृष्टिगत जीवन यापन हेतु स्थानीय निवासियों के हक हकूक बहाल करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री विजय बहुगुणा–

संरक्षित क्षेत्र में चरान–चुगान प्रतिबन्धित है। भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त की संरक्षित क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित वर्ष 2006) के प्राविधानों के अनुसार किसी भी पशु विहार से जलौनी/इमारती लकड़ी के विदोहन पर प्रतिबन्ध है तथा पशु विहार के अन्तर्गत आने वाले पैदल मार्ग, पेयजल पाइप लाइन, मोटर मार्ग तथा विद्युत लाइन आदि के निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किये जा सकते हैं। संरक्षित क्षेत्र में चरान–चुगान भी प्रतिबन्धित है।

संरक्षित क्षेत्र के गठन के समय स्थानीय लोगों के हक–हकूक एवं अन्य पारम्परिक वन अधिकार के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई करने हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये हक–हकूक तथा अन्य पारम्परिक वन अधिकार अनुमन्य कराए जाते हैं।

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत गोविन्द पशु विहार में जानवरों द्वारा घायल किये जाने वाले ग्रामीणों को दिये जाने वाले मुआवजे की धनराशि, धनराशि का स्रोत व माध्यम तथा अनुदान राशि की अदायगी की समय सीमा व राशि बढ़ाने पर विचार

33–श्री माल चन्द –

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत गोविन्द पशु विहार क्षेत्र के काश्तकारों को जानवरों द्वारा जान से मारने एवं घायल करने पर कितना–कितना मुआवजा मिलता है व कितने समय में, या रेंज कार्यालय से दिया जाता है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पूर्व में जानवरों द्वारा मारे जाने और घायल होने पर कितनी धनराशि किस स्रोत एव माध्यम से मिलती थी ?

इस अनुदान राशि की अदायगी की समय सीमा क्या है ?

क्या सरकार वर्तमान में मुआवजा राशि बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री विजय बहुगुणा–

वन्यजीवों द्वारा मारे गये व घायल किये गये व्यक्तियों को अथवा उनके आश्रितों को अनुग्रह आर्थिक सहायता निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :–

क्षति पर प्रकार	देय धनराशि (` में)
गंभीर रूप से घायल	15,000/–
आंशिक रूप से अपंग	25,000/–
पूर्ण रूप से अपंग	1,00,000/–
अवयस्क की मृत्यु पर	1,00,000/–
वयस्क की मृत्यु पर	1,00,000/–

मृतक व्यक्ति के परिवार को ` 5000/– की आर्थिक अनुग्रह राशि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तत्काल भुगतान कर दिया जाता है एवं देय अनुग्रह राशि का अन्य भुगतान नियमानुसार स्वीकृति जारी होने पर किया जाता है।

उक्त उल्लिखित नियमों के अनुसार ही अनुग्रह राशि देय होती है।

अनुग्रह राशि के भुगतान की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, परन्तु भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

जंगली जानवरों द्वार जान–माल को क्षति पहुँचाये जाने पर देय अनुग्रह राशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत नौगाँवखाल–पिलखेरा मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त हुए पौराणिक शिव मन्दिर का पुनर्निर्माण

34–श्री तीरथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत नौगाँव खाल–तुनाखाल मोटर मार्ग पर ईड़ाखाल से सगोड़ा होते हुए पिलखेरा तक मोटर मार्ग निर्माण के समय पौराणिक शिव मन्दिर क्षतिग्रस्त हो गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मन्दिर का पुनर्निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नैनीताल स्थित भीमताल बाईपास के बरसात से जीर्ण–शीर्ण होने व पुनः डामरीकरण हेतु कार्यवाही

35–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल स्थित भीमताल बाईपास मोटर मार्ग जो गत वर्ष हुई बरसात व ओला वृष्टि से काफी क्षतिग्रस्त हो गया था वो अभी तक जीण–शीर्ण अवस्था में है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग के पुनर्डामरीकरण हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के पट्टी मवालस्यूं के ग्राम सगोड़ा में राजकीय पॉलिटैक्निक कालेज खोले जाने पर विचार

36—श्री तीरथ सिंह—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल का पट्टी मवालस्यूं शिक्षा के दृष्टिगत से एक अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है ?

क्या यह सत्य है कि गरीब बच्चों को तकनीकी शिक्षा ग्रहण किये जाने हेतु घर से काफी दूर जाना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में एक राजकीय पॉलिटैक्निक कालेज, क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु ग्राम सभा सगोड़ा में खोले जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री विजय बहुगुणा—

जी नहीं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के पट्टी मवालस्यूं के समीप सतपुली एवं बीरोंखाल में पॉलिटैक्निक संस्थान स्थापित है।

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में तकनीकी शिक्षा ग्रहण किये जाने हेतु राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थानों एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 42 राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थान, 123 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 05 शासकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित किये गये हैं।

ग्राम सभा सगोड़ा में राजकीय पॉलीटैक्निक कालेज खोले जाने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र खटीमा बिगराबाग पुलिया के चकरपुर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु योजना

37—श्री पुष्कर सिंह धामी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खटीमा बिगराबाग पुलिया से चकरपुर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त मार्ग का चौड़ीकरण किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

उक्त मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु डी0पी0आर0 गठित कर स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के वि0ख0 पाटी में सरकार द्वारा डिग्री कालेज की स्थापना तथा वर्ष 2012 से शैक्षणिक सत्र संचालित करने का विचार

38–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड पाटी जिला चम्पावत में डिग्री कालेज की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

क्या शैक्षणिक सत्र 2012 से कक्षायें प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जिला चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने हेतु मानकानुसार भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण वर्तमान में प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद टिहरी के धनौल्टी अन्तर्गत क्यारी–सुरकन्डा–मसरास मोटर मार्ग का निर्माण

39–श्री महावीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत क्यारी–सुरकन्डा–मसरास मोटर मार्ग का निर्माण करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि यह सदन बहुत अच्छी तरह से चले और यहाँ की जो गलत परम्परायें हैं उन परम्पराओं का पटाक्षेप हो। मैं पुनः आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री किरन मण्डल मामले पर चर्चा करायें। (घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर चर्चा करायें और आप एक इतिहास बनाइये। इस पर चर्चा कराने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जाँच हो जायेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और हाऊस भी चलेगा। मान्यवर, हाऊस न चलने देने का हमारा कोई इन्टेंशन नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक तरीके से सदन चले, सवाल हों और जवाब हों और सरकार क्या कर रही है, हम सदन में चर्चा करें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा करा लें और चर्चा कराने के बाद जो जाँच हमने मांगी है, उसकी उच्चस्तरीय जाँच करा लें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। हम एग्जेक्ट प्रमाण दे देंगे कि हार्स ट्रेडिंग इसमें हुई है, खरीद फरोख्त इसमें हुई है, जो संसदीय परम्पराओं के विपरीत है और लोकतंत्र में यह कलंक है।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम के अन्तर्गत और समय पर लायें।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, इसीलिए इसको हमने नियम—310 में दिया है और नियम—310 की सूचना हमने बिल्कुल समय पर दी है। मान्यवर, प्रश्नकाल का समय चला गया है, आप इसमें चर्चा स्वीकार कर लें, हम सब तैयार हैं। (घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, आपने नियम—310 की सूचना सुबह से कई बार जो बताई है, आपने कहा कि हार्स ट्रेडिंग है, आपके पास प्रमाण है, ऐसी बातें आपने कही हैं, जो शायद मैं नहीं जानती हूँ, पर आपके पास प्रमाण हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसे जरूर सदन के समक्ष रखना चाहिए, पूरे सदन को इसका ज्ञान हो जाये, लेकिन यह मुझे भी और शायद आपको भी यह पता चला है कि नियम—310 एक ऐसा विषय है कि जब तक सरकार के सम्मुख पहले से यह नहीं आती है तो वह इस स्थित में नहीं होता है।...... (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, तात्कलिक विषय है। (घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

माननीय अध्यक्ष जी, नियम—310 का मतलब है कार्य स्थगन और कार्य स्थगन का तात्पर्य होता है, सरकार जवाबदेह है।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैंने 11:00 बजे दिया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, पिछले समय में पीठ से इसमें परिवर्तन किया गया था, जो उत्तर प्रदेश से लेकर के अब तक नहीं हुआ था, मेरे भी संज्ञान में यह बात आई कि 10:00 बजे यह दिया जायेगा। यह तो एक प्रश्न है, जिसको आपने सामूहिक दे दिया है पर बहुत ऐसे प्रश्न होंगे, जिसके लिए सरकार जवाबदेह होगी। परम्परागत तरीके से कार्य स्थगन उत्तर प्रदेश से लेकर के सभी राज्यों में पहले से दिया जाता था, शायद पीठ ने विगत वर्ष में यह निर्देश दिया, जो मुझे भी आज पता चला है और आपको भी पता चला। आप पूछने आये थे, तो इस पर मैंने प्रश्न स्वयं किया अपने स्पीकर साहब को यदि कार्य स्थगन के प्रस्ताव पहले से नहीं दिये जायेंगे इसके अलावा अन्य भी कोई नहीं दिया जायेगा तो सरकार को कार्य स्थगन पर जवाब जरूर देना होता है, तो यह जवाब देना होगा। तो मैं यह चर्चा कर रही थी कि आपने जो पहले नियम तय किये हुए थे, उसके आधार पर आपने दिया, आज की स्थिति में आपने ठीक दिया। (घोर व्यवधान) जो नियम तय हैं, आपने उस नियम के अन्तर्गत दिया, यह बात हमको मालूम है, परन्तु मैंने भी स्पीकर

साहब से इसका अनुरोध किया कि सरकार को इसका जवाब देना होगा। मान्यवर, जो पूर्व नियम हैं, मैंने ये अनुरोध किया है कि आप उसे ही लागू करें। जो 9:30 तक जमा होता है, वह जमा हो, ताकि सरकार के पास......(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

कार्य स्थगन के जो प्रस्ताव लाये जाते हैं, वे इससे पूर्व भी वर्ष 2002 से 2007 तक आप थे। जब ये प्रस्ताव लाये जाते हैं तो आप सरकार से जवाब चाहते हैं। अब कोई नियम पीठ के द्वारा यह बनाया गया है कि जिस समय सदन शुरू होता है, तब लाया जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, इन सब विषयों पर हमारी माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई है, चूँकि आनसरेबल तो गर्वमेंट है। आप जब कोई मामला लायेंगे तो उस पर सरकार को जवाब देना ही होगा। सरकार बिना जवाब दिये नहीं रह सकती है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि ''स्थगन का प्रस्ताव''। मान्यवर, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूँ कि नियम–310 और नियम–58 में बहुत बड़ा अन्तर है। मान्यवर, नियम–310 ऐसा विषय है, जो कहीं भी, किसी भी समय बिना किसी रोक टोक के दिया जा सकता है। पहले यहाँ पर और उत्तर प्रदेश में यह परम्परा थी कि 9 से 9:30 बजे के बीच में यह दिया जाता था, लेकिन पिछले सदन में, मैं भी नहीं था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदया जी भी नहीं थीं। मान्यवर, आज हमारा जो व्यक्ति इस सूचना को यहाँ देने के लिए आया था तो, उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि साहब उन्होंने सूचना को लौटा दिया है और यह कहा कि इसे सदन में दे दें तो इस पर मैंने कहा कि यह तो नियमों में है। इस पर मैं आपके चैम्बर में कृपापूर्वक आया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी वहीं पर मिल गयी थीं तो पता लगा कि पीठ ने विगत वर्ष में कोई ऐसा निर्देश दिया है, कोई संशोधन किया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली में संशोधन हो गया है ?

श्री मदन कौशिक –

मान्यवर, जी हाँ।

श्री अजय भट्‌ट–

मान्यवर, जब सदन में कार्य संचालन नियमावली में संशोधन हो गया तो मान्यवर, हम रॉंग कहाँ पर हैं, हमारी तो कुछ गलती है ही नहीं। हमने तो सूचना एकोर्डिंग टु लॉ दी है, नियमावली के आधार पर दी है। इसलिए इस केस में चर्चा तो होनी ही चाहिए। हम एक–एक चीज को आपके सामने लायेंगे और प्रमाणित करेंगे कि इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में खरीद–फरोख्त हुई है और जो यहाँ के लिए कलंक है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) जो हमें देखने को कहीं नहीं मिला है और अब जो माननीय विधायक आज इस सदन के सदस्य भी नहीं रह गये हैं और न ही वे अभी तक कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन वे लालबत्ती की गाड़ी में कल से घूम रहे हैं, उनको ''वाई'' केटेगरी की सुरक्षा दे दी गयी है और ''तू मुझे दे, मैं तुझे दूँगा'' वाली स्टेज पर कार्य किया गया है। यह बहुत बड़ा अन्याय है और हमारे प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय पर हमें चर्चा करने का अवसर प्रदान करें। आप हमारे संरक्षक हैं, आज पूरे उत्तराखण्ड की जनता आपकी तरफ देख रही है। हमें इस पर आपका संरक्षण चाहिए और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आज इतिहास कायम करें, इस विषय पर चर्चा करायें और इतिहास कायम करें और इसकी जाँच करायें और अगर जाँच में इस पर ''दूध का दूध और पानी का पानी'' नहीं हुआ तो आप भी इस सदन में हैं और हम भी इस सदन में हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इस विषय पर चर्चा कराने का कष्ट करेंगे।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जो ''वाई'' श्रेणी की सुरक्षा माननीय किरन मण्डल जी को दी गयी है, वह किस लिहाज से दी गयी है ? जबकि हम विधायक हैं, हमारे पास एक गनर है। मान्यवर, इसमें क्या घालमेल हैं ? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्‌ट–

मान्यवर, इसलिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा प्रारम्भ करायें या समय दे दें। यदि सरकार इसमें समय लेना चाहती है तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस विषय पर चर्चा होनी बहुत ही आवश्यक है। मान्यवर, जाँच का आप निर्देश दे दें। आप इतिहास कायम करें, एक नजीर पेश हो जायेगी। मान्यवर, पूरे भारत में नजीर जायेगी, आप इस नजीर को जगह–जगह पर देखेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप एक इतिहास कायम करें, ताकि आज जो उत्तराखण्ड ''देव भूमि'' कलंकित हुई है, उसका पर्दाफाश इस सम्मानित सदन के अन्दर हो सके, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

मैं नियम—310 की सूचना को अस्वीकार करता हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य ''वेल'' में आकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

आज की कार्य सूची की मदें कल तक के लिए स्थगित की जाती हैं। अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून, डी0पी0 गैरोला,

दिनांक : 28 मई, 2012 प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–5 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2012 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री नारायण राम आर्य, मा0 सदस्य, विधान सभा के द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–01 की अनुपूरक सूचना

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मदनपुर नैनी मोटर मार्ग के निर्माण की लम्बाई 10.00 किमी0 एवं 60 मीटर विस्तार के स्टील गर्डर सेतु निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–829/III(2)/06–62(प्रा0आ0)/05 टी0सी0, दिनांक 28–03–06 द्वारा रु0 274.00 लाख प्राप्त स्वीकृति शासनादेश संख्या–530/III(2)/08–29 (प्रा0आ0)/07, दिनांक 24–03–08 द्वारा रु0 75.70 लाख प्राप्त हुई। मार्ग के 10 किमी0 लम्बाई में पहाड़ कटान एवं 8.00 किमी0 लम्बाई में पार्ट–2 का कार्य कराया गया। मार्ग के किमी0 2.00 में नेवलियासेरा (सारतोला) स्थान पर सेतु के पहुँच मार्ग के दाँयी ओर की दीवार विगत अप्रैल माह में आंशिक क्षतिग्रस्त हो गयी थी। इस दीवार का निर्माण कार्य वर्ष, 2010 में कराया गया था। वर्तमान में सेतु सुरक्षित है, पहुँच मार्ग की क्षतिग्रस्त दीवार को ठीक करने का कार्य ठेकेदार द्वारा दिनांक 17–04–12 को प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में सेतु एवं इसके एवेटमेन्ट ठीक स्थिति में है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–8 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–8 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2012 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य, विधान सभा श्री तीरथ सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या–*8 की अनुपूरक सामग्री

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–119 में सतुपुली से पौड़ी के अन्तर्गत सतपुली से पैडुल (कि0मी0 197 से कि0मी0 224 तक) के भाग में मार्ग का दो लेन चौड़ीकरण का कार्य तथा कि0मी0 225 से 232 के मध्य पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण हो चुका है। 7.00 किमी0 लम्बाई में बी0एम0 तथा 3.00 कि0मी0 लम्बाई में एस0डी0बी0सी0 का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य जून, 2012 निर्धारित है। इस प्रकार सतपुली से पौड़ी के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।

नत्थी 'ग' संलग्नक–1

(देखिये अता0 प्र0 सं0–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

धारचूला विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित यूजेवीएन लिमिटेड की परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की सूचना

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	क्षमता मे0वा0 में	अद्यतन स्थिति
01.	सरकारी भ्योल रूपसियाबगड़	210	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगति पर है
02.	सेला उर्थिंग	230	सर्वेक्षण कार्यों हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा अक्टूबर, 2010 में प्रदान की गयी है। दिनांक 02–03–2012 को प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक तथा अधिशासी निदेशक (जनपद) साथ हुई बैठक में प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले प्रस्ताव का पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर है।
03.	सोबला प्रथम	8	परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
04.	सुरिनगाड़ द्वितीय	5	परियोजना का कार्य भू–अर्जन तथा निविदा आवंटन करने के उपरान्त प्रारम्भ किये जायेंगे।
05.	पैनागाड़	9	परियोजना में दैवीय भूस्खलन के दृष्टिगत सर्वेक्षण क कार्य कराया जा रहा है। तद्नुसार विद्युत गृह की विभिन्न संरचनाओं को पुनर्स्थापित कर डी0पी0आर0 संशोधित की जानी प्रस्तावित है। भू–अर्जन के उपरान्त निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
06.	तांकुल	12	परियोजना की डी0पी0आर0 बनाने का कार्य आई0आई0टी0, रुड़की द्वारा किया जा रहा है। तांकुल परियोजना अस्कोट सैंचुरी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए वन मंत्रालय से स्वीकृति के उपरान्त ही भविष्य की कार्य योजना तैयार की जायेगी।

संलग्नक–2

धारचूला विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित केन्द्रीय उपक्रम, निजी विकासकर्ता एवं यूआईपीसी की जल विद्युत परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की सूची

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	क्षमता मे0वा0 में	विकासकर्ता	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का सम्भावित वर्ष/अद्यतन स्थिति
1.	चुंगर चल	240	एन0एच0पी0सी0	• परियोजना के अस्कोट कस्तुरी मृग विहार के संरक्षित क्षेत्र में होने के कारण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।
2.	धौलीगंगा इण्टर मीडिएट स्टेज	200	एन0एच0पी0सी0	• परियोजना का क्रियान्वयन अनुबन्ध एनएचपीसी से किया जाना प्रस्तावित है।
3.	करमोली लुम्टी तल्ली	55	एन0एच0पी0सी0	• परियोजना के अस्कोट कस्तूरी मृग विहार के संरक्षित क्षेत्र में होने के कारण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।
4.	गौरीगंगा	140	एन0एच0पी0सी0	
5.	गरबा तवाघाट	610	एन0एच0पी0सी0	
6.	बोकांग बेलिंग	330	टी0एच0डी0सी0	• परियोजना के अस्कोट कस्तूरी मृग विहार के संरक्षित क्षेत्र में होने के कारण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।
7.	रूपसियाबगड खसियाबाडा	260	एन0टी00पी0सी0	• भूमि अधिग्रहण के कार्य प्रगति पर है।
8.	उर्थिंग सोबला	230	रिलायंस एनर्जी	• परियोजना के अस्कोट मृग विहार के क्षेत्र स्थिति है।
9.	मपांग बोगुदियार	200	जी0वी0के0	• रिलायन्स बनाम जीवीके एवं अन्य वाद मा0 उच्चतम न्यायालय में निर्णय हेतु लम्बित होने के कारण परियोजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।
10.	बोगुदियार सिरकारी भ्योल	170	जी0वी0के0	

11.	जिंबागड	7.70	कृष्णा निटवियर	• परियोजना कृष्णा निटवियर को आवंटित की गई थी, जिसे उत्तराखण्ड शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
12.	मदकिनी	21	मदकिनी हाइड्रो	• परियोजना डीपीआर स्तर पर है।
13.	तांगा	5	हिमालय हाइड्रो	• परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
14.	कुटी	6	यू0आई0पी0सी0	• परियोजना नियोजन स्तर पर है।
15.	गरभ्यांग	131	यू0आई0पी0सी0	
16.	बुधी	192	यू0आई0पी0सी0	
17.	मालिपा	138	यू0आई0पी0सी0	
18.	तवाघाट तपोवन	105	यू0आई0पी0सी0	
19.	तपोवन कालिका	160	यू0आई0पी0सी0	
20.	कालिका बालुवाकोट	120	यू0आई0पी0सी0	
21.	ननयांग	5,50	यू0आई0पी0सी0	
22.	सिमखोला	8.75	यू0आई0पी0सी0	
23.	पलांग	6.50	यू0आई0पी0सी0	

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधान सभा / 315–29–06–2013–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।